

1386/रपप०दि. 29-05-2015

8 (2)

114

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-1

सख्या- 337 / XVIII(1)/2015-2(9)/2012

देहरादून: दिनांक: 28 मई, 2015

~~श्री निष~~
प० उप राज्यपाल शासु

अधिसूचना

फौजि
29/5/15

राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001 की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और पूर्व में इस निमित्त जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जिला उत्तरकाशी में "धौंतरी" मुख्यालय के साथ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्रामों से मिलकर "धौंतरी" ज्ञात नाम से एक नई उप तहसील सृजित करने और विद्यमान तहसील डुण्डा की सीमा से उक्त ग्रामों को पृथक करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसने उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

नवसृजित उप तहसील धौंतरी में सम्मिलित तहसील डुण्डा के ग्रामों की सूची

क्र०सं०	ग्राम का नाम	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)/लेखपाल क्षेत्र का नाम
1	2	3
1.	चौन्दियाटगांव	धौन्तरी
2.	दिखोली	
3.	सौड़	
4.	लोदाड़ा	
5.	भेटियारा	
6.	सिरी	
7.	धौन्तरी	
8.	कमद	कमद
9.	कुमारकोट	
10.	जालंग	
11.	ठाण्डी	
12.	बागी	
13.	भड़कोट	
14.	बड़ेथ	बड़ेथ
15.	धणेटी	
16.	मट्टी	

राजु

17. उडरी
18. गढ़थाती
19. गोरसाड़ा
20. भैन्त
21. न्यूगांव
22. नैपड़
23. हुल्डियाण
24. पोखरियालगांव

न्यूसारी

आज्ञा से,

S. B. W.
(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या- /XVIII(1)/2015 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियां राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

S. B. W.
(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या- 337/XVIII(1)/2015 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक सूचना निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

S. B. W.
(भास्करानन्द)
सचिव